

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

न्यायालय क्षेपर समाहर्ता खूँटी
आदेश पत्रक

फॉर्म नं० - 14 फार्म सं० 562

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

दा.सां.रिकीज...वाद सं० ...०३२१५...वर्ष ...२०१५... धारा
ACTR No-01R15/15

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक


प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

मंगतू महतो एवं ग्रन्थ

वनाम्

शिखर महतो एवं ग्रन्थ

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
02-09-14	<p>आर्किटवु 1. मंगतू महतो पे० स्व० जग मोहन महतो 2. फाबु महतो पे० स्व० बन्दरा महतो 3. शंकर महतो पे० स्व० बहुरा महतो 4. रजानु महतो 5. अचरु महतो 6. जगना महतो 7. रन्धु महतो 8. दसरु महतो सभी के पे०- स्व० लक्ष्मण महतो 9. बसन्त महतो 10. फुलो महतो सभी के पे० स्व० नन्धु महतो सभी साक्षि- रेवा कोर्ट बिस्वु चाना-खूँटी जिला-खूँटी ने मुक्ति सुधा उप समाहर्ता खूँटी के जामालम द्वारा बिष्वादिन दारिजल- खारिण अपील वाद सं० 01/14-15 में दिनांक 07-04-14 को पारित आदेश के बिस्वु द्वारा क्रिया गमाई है। दारिजल बिन्दु पर सुनवाई हेतु अभिलेख दिनांक 23-09-14 को रखा।</p>	
23-09-14	<p>आर्किटवु द्वारा उपस्थिति दी गयी है। Admitted 1 respondent शे रिटल + 1 Lawyer - court</p>	<p>24-09-14</p>

आदेश क्रमांक Order No./Date	आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई का तिथि Action taken on order with date
01-07-20	<p>अभिलेख उपस्थापित। सत्कार के लिये राजस्व निबंधन में अग्रिम सुधार विभाग कार्रवाई सत्कार संन्धी के पत्रों- 332/रा. दिनांक 24-1-20 के द्वारा प्रतिक्रित है। The Bihar Tenants Holding (maintenance of Records) Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision को सुनवाई अधिकार तथा Collection को है न कि Additional Collector अथवा Deputy collector को है।</p> <p>अतः उक्त निम्न/धारा के आभिक में बद की अग्रिम सुनवाई हेतु अभिलेख उपस्थापित करने के आदेश में दर्शावित करें।</p> <p style="text-align: right;">  01-07-2020 अग्रिम सुनवाई </p> <p>अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख अपर समाप्ति सुनवाई के आदेश में दर्शावित होकर उपस्थापित करें।</p> <p>अभिलेख पर अग्रिम सुनवाई हेतु बाक पंजी में दर्ज करते हुए पक्षधारों को सूचना निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक को रखें।</p>	